

114 ①

**न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2831-पीबीआर/2014 विरुद्ध आदेश दिनांक 11-6-2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, प्रकरण क्रमांक 212/2004-05/निगरानी ।

- 1-शकुन्तलाबाई पिता रंजीतसिंह
- 2-गोपाल कुंवर विधवा प्रभुदयालसिंह
- 3-देवमनी पुत्री प्रभुदयालसिंह
- 4-कुलदीप सिंह पिता प्रभुदयालसिंह
- 5-विश्वजीतसिंह पिता प्रभुदयालसिंह

समस्त निवासीगण ग्राम कटलार तहसील व जिला मंदसौर

.....आवेदकगण

**विरुद्ध**

सरदारसिंह मृत वारिसान

1-मोहनसिंह पिता सरदारसिंह

2-धनसिंह पिता सरदारसिंह

निवासीगण ग्राम कटलार तहसील व जिला मंदसौर

3-म0प्र0शासन द्वारा कलेक्टर जिला मंदसौर

.....अनावेदकगण


श्री ए0आर0यादव, अभिभाषक-आवेदकगण

श्री कैलाश जोशी, अभिभाषक-अनावेदक क्रमांक 1 व 2

**:: आ दे श ::**

(आज दिनांक 14/8/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 42 सहपठित धारा 50 म0प्र0भू0रा0स0 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-6-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।



2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम कटलार तहसील मंदसौर में आवेदक रणजीत व उसकी पत्नि के स्वामित्व की कृषि भूमि क्रमश 21.589 हेक्टेयर एवं 21.151 हेक्टेयर स्थित थी इस भूमि में से कुछ भूमि म0प्र0कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 के तहत अतिशेष घोषित कर दी गई । इस आदेश के विरुद्ध आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24-6-1978 से प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया गया। तत्पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त खाते में से 32.391 हेक्टेयर भूमि अतिशेष घोषित कर दी गई । पुनः अनुविभागीय अधिकारी का यह आदेश प्रत्यावर्तित हुआ और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई भूमि अतिशेष घोषित नहीं कर आवेदक को सिलिंग एक्ट से मुक्ति प्रदान कर दी गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का अमल राजस्व अभिलेख में 20 वर्ष पश्चात किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी में लेकर दिनांक 22-8-2005 को आदेश पारित कर आवेदक व उसकी पत्नी को 54 एकड़ तथा उसमें व्यस्क पुत्र प्रभुदयाल को 30 एकड़ कुल 84 एकड़ अर्थात् रकबा 33.995 हेक्टेयर की पात्रता यथावत रखते हुये 4.52 एकड़ भूमि तालाब व 30-30 एकड़ भूमि दोनों पुत्रियों को दी गई भूमि की पात्रता अमान्य की जाकर शेष बची भूमि रकबा 29.508 अतिशेष घोषित की गई है। कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 11-6-2014 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) आवेदकगण की पुत्रियों को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निगरानी में ना तो पक्षकार बनाया और ना ही सुना तथा उन्हें कोई सूचना पत्र भी जारी नहीं किये गये इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) अपर आयुक्त के आदेश के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण रिमाण्ड करते हुये निर्देशित किया गया था कि दो अविवाहित पुत्रियाँ जिन्हें धारा 6(2) के अन्तर्गत स्वत्व उत्पन्न होता है और उन्हें धारक की भूमि में 30-30 एकड़ भूमि धारा 7(1) के तहत पाने की पात्रता आती है । उक्त निर्देश के पालन में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रकरण में धारक के पास कोई भूमि अतिशेष नहीं रहने से प्रकरण समाप्त कर दिया । इस प्रकार अपर

आयुक्त के आदेश के पालन में जो आदेश दिया गया है उसे स्वमेव निगरानी में लिये जाने का कोई अधिकार कलेक्टर को नहीं था, क्योंकि वरिष्ठ न्यायालय के आदेश का पालन करना अधीनस्थ न्यायालय का कर्तव्य है ।

(3) अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 24-6-78 अंतिम हो चुका है उक्त आदेश को किसी भी पक्ष या शासन ने चुनौती नहीं दी तथा उसके पालन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 31-3-83 को आदेश पारित करते हुये सिलिंग प्रकरण समाप्त कर दिया । जिसको इतने लम्बे समय पश्चात स्वमेव निगरानी में नहीं लिया जा सकता इसलिये कलेक्टर द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

तर्क के समर्थन में 2011 आरएन 57, 1987 आरएन 304, 2010 आरएन 409, 1989 आरएन 200, 1982 आरएन 101, 2004 आरएन 246 व 1979 आरएन 539 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) अनुविभागीय अधिकारी का आदेश आवेदक को लाभ पहुंचाने की नीयत से सीलिंग एक्ट के प्रावधानों की सही व्याख्या न करते हुये आवेदक व उसके परिवार को ज्यादा भूमि की पात्रता दे दी गई थी ।

(2) आवेदकगण को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया था इसलिये आवेदकगण को पूरी जानकारी थी तथा आवेदक भी चाहते तो अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार बन सकते थे ।

(3) आवेदकगण द्वारा निगरानी में यह नहीं बताया कि उन्हें कलेक्टर के आदेश की जानकारी कब और कैसे हुई क्योंकि अपर आयुक्त के समक्ष आवेदकगण द्वारा निगरानी तत्काल प्रस्तुत की गई जिससे स्पष्ट है कि आवेदकगण को समस्त तथ्यों का ज्ञान था ।

(4) कलेक्टर ने अनावेदक के आवेदन पर स्वप्रेरणा पुनरीक्षण कायम नहीं की बल्कि अनावेदक ने तो कलेक्टर की जानकारी में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 31-3-83 की अवैधता उसके शून्य व विधिक प्रावधानों के विपरीत होने का तथ्य लाया था व इन तथ्यों के बारे में संतुष्ट होने पर ही कलेक्टर ने प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया ।

उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।




तर्क के समर्थन में 2002 आरएन 480, 1995 आरएन 27, 1992 आरएन 121, 2009 आरएन 155, 2011 आरएन 75 व 57 तथा 2005 आरएन 144 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर ने सोमोटो में प्रकरण लेकर आदेश दिये हैं, लेकिन अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने के लिये कोई अतिरिक्त साक्ष्य नहीं ली गई । पुत्रियों की आयु पर कोई जाँच नहीं की गई । यदि अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में विसंगतियाँ थी तो अतिरिक्त साक्ष्य लेनी चाहिये थी तथा धारक को प्रतिपरीक्षण का अवसर देना चाहिये था । अपर आयुक्त ने भी अवर्णित आदेश किया है । सोमोटो में लेकर प्रकरण में आदेश करने में पूर्व कलेक्टर को अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश के निष्कर्षों का ठोस आधारों पर निरस्त करना था । अतः प्रकरण में विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि कलेक्टर को पुनः जाँच कर तथा आवेदक को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर आदेश करने के लिये प्रत्यावर्तित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-6-2014 तथा कलेक्टर जिला मंदसौर द्वारा पारित आदेश दि.22-8-2005 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण करने हेतु कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया जाता है।

  
AS

  
(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर